राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के क्रियान्वयन का जिला एवं निम्न स्तर पर अध्ययन

(A Study on Implementation of Schedule Cast sub plan and Trible sub plan at District and below level in the State)

BHUNPENDRA KAUSHIK
BUDGET ANALYSIS RAJASTHAN CENTER

राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के क्रियान्वयन का जिला एवं निम्न स्तर पर अध्ययन

(A Study on Implementation of Schedule Cast sub plan and schedule Trible sub plan at District and below level in the State)

भूपेन्द्र कौशिक

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

पी–1, तिलक मार्ग, सी–स्कीम,

जयपुर–302005

फोन / फैक्स – 0141–2385254

E-mail: info@barcjaipur.org

Web: www.barcjaipur.org

अध्ययन एवं शोध : भूपेन्द्र कौशिक

ग्राफिक्ल डिजाईन : नितेश शर्मा

अध्ययन अथवा शोध उद्देश्य हेतु इस किताब के तथ्य एवं आंकड़े किताब के संदर्भ के साथ उपयोग किये जाने योग्य

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

प्रथम संस्करण मार्च 2014

प्रकाशक : बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

मुद्रक : प्रिंट मिड़िया सर्विसेज

निवारू रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर – 2302012

अनुक्रमणिका

प्रस्तावना

1. अध्ययन की पृष्ठभूमि

2. राज्य में दलित एवं आदिवासी : परिचय एवं परिदृश्य
    - राज्य में दलित एवं आदिवासी जनसंख्या
    - दलित एवं आदिवासी समुदाय की समस्याएं
    - अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु संवैधानिक व्यवस्था
    - अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु कानूनी व्यवस्था
    - अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु प्रशासनिक व्यवस्था
    - अनसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना
    - उपयोजना हेतु योजना आयोग के निर्देश
    - उपयोजना हेतु राशि आवंटन की प्रक्रिया
    - उपयोजना हेतु जिलास्तर पर दिशानिर्देश
    - उपयोजना हेतु अधिनियम बनाने की मांग
    - राज्य में उपयोजना के क्रियान्वयन की निगरानी

3. राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना की स्थिति
    - अनुसूचित जाति उपयोजना का बजट विश्लेषण
    - अनुसूचित जनजाति उपयोजना का बजट विश्लेषण
    - अध्ययन हेतु चयनित विभागों का उपयोजनावार बजट विश्लेषण

4. राज्य में उपयोजनाओं के क्रियान्वयन का अध्ययन
    - अध्ययन की आवश्यकता
    - अध्ययन के उद्देश्य
    - अध्ययन का क्षेत्र
    - अध्ययन की प्रणाली
    - अध्ययन की तकनीक
    - अध्ययन की सीमाएं

5. अध्ययन के परिणाम

- साक्षात्कार अनुसूची से प्राप्त परिणाम
- टोंक जिले में अनुसूचित जाति उपयोजना का बजट विश्लेषण

निष्कर्ष

सुझाव

प्रस्तावना

अध्याय – 1

अध्ययन की पृष्ठभूमि

देश में वर्ष 1950 में संविधान के निर्माण के साथ ही दलित एवं आदिवासी समाज के विकास के बीच की खाई को दूर करने के लिये सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाये जाने लगे। दलित एवं आदिवासी समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति सुधारने एवं वर्षों से चले आ रहे दमन व शोषण से उन्हें निजात दिलाने के लिये केन्द्र सरकार के साथ–साथ राज्य सरकारों द्वारा पिछले कई दशकों से प्रयास किये जाते रहे हैं। इनमें दलित और आदिवासी उपयोजनाओं का क्रियान्वयन इस दृष्टिकोण की तरफ एक महत्वपूर्ण प्रयास कहा जा सकता है।

इन्हीं प्रयासों में भारत में आदिवासी एवं दलित समुदाय को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने तथा उन्हें अन्य वर्गों के समकक्ष लाने हेतु 5वीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 1974–75 में जनजाति उपयोजना एवं वर्ष 1979–80 में अनुसूचित जाति उपयोजना (जिसको 2007 से पहले विशेष संघटक योजना के नाम से जाना जाता था) की रणनीति अपनाई गई। इन उपयोजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अपने आयोजना बजट का आदिवासी एवं दलित आबादी के अनुपात में क्रमशः अनुसूचित जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत आवंटित कर इन वर्गो के विकास हेतु व्यय करने का प्रयास प्रारम्भ किया गया। वर्ष 1974 तथा 1979 में इन उपयोजनाओं को केन्द्र सरकार की आयोजना के लिये भी लागू किया गया।

भारत सरकार के योजना आयोग द्वारा वर्ष 1974 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के केन्द्र एवं राज्य स्तर पर बेहतर क्रियान्वयन हेतु दिशानिर्देश जारी किये गये। आयोग ने इन दिशानिर्देशों में दलित एवं आदिवासी समुदाय को जनसंख्या के अनुपात में आयोजना राशि आवंटित करने, उपयोजना हेतु अलग आयोजना तैयार करने तथा उपयोजना राशि सीधे दलित एवं आदिवासी समुदाय के लाभ की योजनाओं के माध्यम से खर्च करने की बात स्पष्ट कही है।

प्रदेश में दलित एवं आदिवासी उपयोजना को लागू हुए लगभग 35 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है लेकिन अभी तक इन उपयोजनाओं में जनसंख्या के अनुपात में बजट आवंटन तथा आवंटित बजट का पूर्ण व्यय तक संभव नहीं हो सका है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के जिला एवं निम्न स्तर पर क्रियान्वयन हेतु कोई स्पष्ट मार्गदर्शिका भी नहीं है। जिसकी वजह से दलित एवं आदिवासी उपयोजनाओं का इतने अरसे बाद भी प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित नहीं हो सका है तथा आज भी दलित एवं आदिवासी समुदाय हाशिये पर है।

राज्य में दलित एवं आदिवासी समुदाय की विद्यमान समस्याओं तथा इन वर्गों के लिये संचालित उपयोजनाओं के क्रियान्वयन को समझने के लिये बार्क द्वारा जिला एवं निम्न स्तर पर एक अध्ययन प्रारम्भ किया गया। इस अध्ययन के लिये राज्य के 6 जिलों में जिला, पंचायत स्तर पर 5 विभागों से उपयोजना के क्रियान्वयन से संबंधित सूचनाएं संग्रहित की गईं। हालांकि अध्ययन के लिये तय योजना के अनुसार आंकड़े संग्रहित नहीं हो सके जिसके कारण अध्ययन कुछ हद तक सीमित हो गया है।

लेकिन टोंक जिले के विभागों से बजट की सूचनाएं प्राप्त हुई जिनके विश्लेषण के आधार पर यह रिपोर्ट

लिखी गई है। इस अध्ययन के प्रथम अध्याय में राज्य में दलित एवं आदिवासी वर्ग की स्थिति, तथा दोनों उपयोजनाओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय अध्याय में दलित एवं आदिवासी समुदाय की जनसंख्या तथा उनकी वर्तमान स्थिति, इनसे संबंधित संवैधानिक, विधायी एवं कानूनी प्रावधान तथा राज्य में उपयोजनाओं की स्थिति तथा प्रस्तावित कानून की मांग पर चर्चा की गई है। तृतीय अध्याय में राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना हेतु आवंटन की जानकारी में आयोजना विभाग, वित्त विभाग तथा उपयोजना के नोडल विभाग के आंकड़ों में विषमताओं को दिखाया गया है साथ ही अध्ययन में शामिल 5 विभागों के लिये राज्य बजट से मुख्य शीर्षवार आवंटन को बताया गया है। चतुर्थ अध्याय में अध्ययन की आवश्यकता, क्षेत्र, नमूने, तकनीक, पद्धति तथा सीमाओं को स्पष्ट किया गया है। अध्ययन के पंचम एवं अंतिम अध्याय में साक्षात्कार अनुसूची तथा टोंक जिले के विभागों से प्राप्त बजट सूचनाओं के विश्लेषण से प्राप्त परिणामों को समझाया गया है। इस अध्ययन के अंत में इस अध्ययन से प्राप्त मुख्य निष्कर्षों तथा दोनों उपयोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संभावित सुझावों को रखा गया है।

अध्याय – 2

राज्य में दलित एवं आदिवासी : परिचय एवं परिदृश्य

राजस्थान की वर्तमान जनसंख्या का लगभग एक तिहाई हिस्सा दलित एवं आदिवासी समुदाय से है। जिसमें आदिवासी राज्य के दक्षिणी हिस्से तथा दलित लभगग पूरे राज्य में छितराए हुए हैं। यह समुदाय मुख्यतः शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर है तथा विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर है। हांलाकि केन्द्र एवं राज्य सरकारें इन वर्गों के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता में रखे हुए हैं लेकिन यह एक विडम्बना है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी दलित एवं आदिवासी समुदाय के अधिकांश लोग विकास के सबसे निचले पायदान पर हैं।

राज्य में दलित एवं आदिवासी जनसंख्या : केन्द्र तथा राज्य स्तर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिये विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं में इनका हिस्सा इनकी जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है। राज्य में दलित एवं आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत देश में दलित एवं आदिवासी के प्रतिशत से कहीं अधिक है। देश में जनगणना 2011 के अनुसार दलित एवं आदिवासी समुदाय की जनसंख्या क्रमशः 16.2 तथा 8.2 प्रतिशत है। राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या की वृद्धि दर को निम्न सारणी से समझा जा सकता है।

राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या

संख्या लाख में

	राज्य की	अनुसूचित जाति		जनजाति	
वर्ष	जनसंख्या	जनसंख्या	प्रतिशत	जनसंख्या	प्रतिशत
1961	201.56	33.60	16.67	23.51	11.66
1971	257.66	40.76	15.82	31.26	12.13
1981	342.62	58.39	17.04	41.83	12.21
1991	440.06	76.08	17.29	54.75	12.44
2001	565.07	94.94	17.16	70.98	12.56
2011	686.21	122.21	17.81	92.38	13.46

स्रोतः जनजाति विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन से

वर्ष 1961 में राज्य की कुल जनसंख्या 201.56 लाख थी जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति का प्रतिशत क्रमशः 16.67 तथा 11.66 था। वर्ष 2011 में राज्य की कुल जनसंख्या 686.21 लाख थी जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति का प्रतिशत क्रमशः 17.8 तथा 13.4 था।

दलित एवं आदिवासी समुदाय की समस्याएं : राज्य में दलित एवं आदिवासी समुदाय को विकास की मुख्य धारा से पिछड़ जाने के कारण प्रायः निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

- विकास के अधिकांश मानकों जैसे –शिक्षा तथा स्वास्थ्य के अनुसार दलित एवं आदिवासी समुदाय देश एवं राज्य की तुलना में काफी पीछे हैं।
- दलित एवं आदिवासी समुदाय का प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा से कम जुड़ाव होना एक मुख्य समस्या है।
- दलित एवं आदिवासी समुदाय के अधिकांश लोग भूमिहीन हैं तथा जिनके पास भी भूमि है वो अधिकतर छोटे एवं सीमांत किसान हैं।
- दलित समुदाय आजादी के इतने समय बाद भी सामाजिक भेदभाव तथा छूआछूत की पीड़ा झेल रहा है।
- दलित एवं आदिवासी बाहुल्यता वाले दूर दराज के क्षेत्रों में आज भी आधारभूत सुविधाओं यथा– स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास तथा रोजगार का अभाव हैं।
- दलित एवं आदिवासी खासकर आदिवासी आज भी सरकारी योजनाओं की पहुंच से कोसों दूर हैं।
- इन समुदायों विशेषकर आदिवासी समुदाय को विकास के दुष्परिणाम जैसे –भूमि अधिग्रहण तथा विस्थापन को झेलना पड़ रहा है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु संवैधानिक व्यवस्था : संविधान में समस्त नागरिकों के लिये सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही समाज की मुख्यधारा से पिछड़े समुदायों के विकास एवं उत्थान के लिये कुछ विशेष प्रावधान भी संविधान में रखे गये हैं।

- **अनुच्छेद 341 –** संविधान के अनुच्छेद 341 में कुछ जातियों, वर्गों, समुदायों एवं समूहों को उनके सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन से उबारने तथा उनके हितों के संरक्षण के लिये उन्हें अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- **अनुच्छेद 342 –** संविधान के अनुच्छेद 342 में कुछ जातियों, वर्गों एवं आदिवासी समुदाय को उनके सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन से उबारने तथा उनके हितों के संरक्षण के लिये उन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- **अनुच्छेद 244 (1) –** संविधान के अनुच्छेद 244 (1) में अनुसूचित क्षेत्र को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि देश के राष्ट्रपति के आदेश से किसी क्षेत्र विशेष को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है।
- **अनुच्छेद 46 –** 'भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 में सरकार को निर्देशित करते हुए कहा गया है कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आर्थिक एवं शैक्षिणिक स्तर को उच्चतर बनाने के सभी प्रयास करेगी।'
- **अनुच्छेद 15 (4) –** भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 (4) में सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के वर्गों तथा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की उन्नति के संबंध में विशेष

प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।

- **अनुच्छेद 338** (A) **–** संविधान के 89 वे संशोधन वर्ष 2004 से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण हेतु सरकार को सुझाव देने तथा संचालित कार्यों की निगरानी के लिये अनुच्छेद 338(A) के अंतर्गत 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग' तथा 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग' का गठन किया गया।

- **अनुच्छेद 15(4), 17, 23, 24, 46, 243**(D)**, 243**(T)**, 330, 332, 334–** भारत के संविधान के उक्त अनुच्छेदों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदायों के लिये सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक क्षेत्रों में विशेष सुविधाएं तथा रियायतें देने का उल्लेख किया गया है।

इसके साथ ही केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के लिये केन्द्र एवं राज्य की सेवाओं, राजकीय सेवाओं तथा स्थानीय सेवाओं में भरी जाने वाली रिक्तियों में पद आरक्षित रखे जाते हैं।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण हेतु वैधानिक व्यवस्था : संविधान में दलित एवं आदिवासी समुदाय के हितों की संरक्षा हेतु राज्यों को निर्देशित किया गया है। इन्हीं उद्देश्यों के लिये सभी राज्य सरकारें पिछले कई दशकों से प्रयास करती रही हैं। राजस्थान सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के विकास एवं उत्थान के कार्यों को निम्न बिन्दुओं से समझा जा सकता है।

- **अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम :** केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1989 में 'अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम' पारित किया गया जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों से छुआछूत करने, बेगार लेने, अपमान करने, शील भंग करने, शारीरिक क्षति पहुंचाने, उनको उनकी कृषि–भूमि से बेदखल करने इत्यादि अपराधों के दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के लिये कारावास एवं आर्थिक दण्ड़ का प्रावधान किया गया है।

- **अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण नियम :** राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 1995 में 'अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989' के नियम बनाये गये। इन नियमों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने के लिये इस अधिनियम के प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है।

- **नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम :** संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा ''अस्पृश्यता'' को निषिद्ध आचरण घोषित कर किया है और नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत इसे दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। इस अधिनियम को सख्ती से लागू करने के लिए राज्य में पुलिस विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण हेतु प्रशासनिक व्यवस्था : राजस्थान सरकार द्वारा दलित एवं आदिवासी समुदाय को विकास के समान अवसर उपलब्ध करवाने तथा सामाजिक एवं आर्थिक शोषण से उन्हें बचाने के लिये समय समय पर विशेष प्रावधान एवं प्रशासनिक इकाईयों (व्यवस्थाओं) का गठन किया गया है। पिछले कुछ दशकों में राज्य सरकार द्वारा दलित एवं आदिवासी समुदाय के कल्याण हेतु किये गये मुख्य

कार्यों को निम्न विवरण से समझा जा सकता है।

- **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग :** राज्य में पिछड़ी जातियों विशेषकर अनुसूचित जाति वर्ग के विकास एवं उत्थान के कार्यों को क्रियान्वित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1951–52 में 'पिछड़ी जाति कल्याण विभाग' की स्थापना की गई। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1955–56 में इस विभाग का नाम 'समाज कल्याण विभाग' कर दिया गया तथा वर्ष 2007 में एक अधिसूचना जारी कर अब इस विभाग का नाम "सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग" कर दिया गया है। यह विभाग अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के लिये संचालित विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के क्रियान्वयन एवं निगरानी का कार्य करता है।

- **जनजाति क्षेत्री विकास विभाग :** संविधान ने अनुसूचित जनजाति समुदाय के आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी है। इसी संदर्भ में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के विकास एवं कल्याण के लिये वर्ष 1975 में 'जनजाति क्षेत्री विकास विभाग' का गठन किया गया।

  राज्य में जनजाति बाहुल्य भौगोलिक क्षेत्रों में विकास का मुख्य आधार क्षेत्रीय विकास को रखा गया जिसके फलस्वरूप राज्य में वर्ष 1974–75 में अनुसूचित क्षेत्र, वर्ष 1977–78 में सहरिया परियोजना क्षेत्र, वर्ष 1978–79 में परिवर्तित क्षेत्रीय विकास उपागमन (माडा), वर्ष 1986–87 में माडा क्लस्टर क्षेत्र तथा बिखरी हुई जनजाति को जनजाति विकास कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया।

- **राजस्थान अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग :** राज्य सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय को दी जाने वाली सुविधाओं का उचित लाभ दिये जाने पर विचार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011 में 'राजस्थान अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग' का गठन किया गया। लेकिन वर्ष 2011 में राजस्थान सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर अनुसूचित जनजाति आयोग का अलग से गठन किया है। अनुसूचित जाति आयोग का प्रशासनिक विभाग 'सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग' तथा जनजाति आयोग का 'जनजाति क्षेत्री विकास विभाग' रखा गया है।

- **राज्य विधानसभा की समितियां :** राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के कल्याण एवं विकास के लिये राज्य विधानसभा के प्रत्येक कार्यकाल में अनुसूचित जाति कल्याण समिति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति का गठन किया जाता है। यह दोनों समितियां विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत की जाती हैं तथा प्रत्येक समिति में 15 सदस्य होते हैं। यह समितियां अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के लिये संचालित कल्याणकारी तथा विकास के कार्यों की जांच करती हैं।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना : देश एवं राज्यों में हाशिये पर रह रहे दलित (अनुसूचित जाति) एवं आदिवासी (अनुसूचित जनजाति) समुदाय को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिये केन्द्र एवं राज्य सरकारें पिछले कई वर्षों से प्रयास कर रही हैं। इसी क्रम में योजना आयोग के निर्देशानुसार दलित एवं आदिवासी समुदाय को सीधे लाभान्वित करने तथा उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम करने के लिये 'अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना' का केन्द्र एवं राज्य स्तर पर क्रियान्वयन प्रारम्भ किया गया।

राज्य में 'अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना' पिछले कई दशकों से संचालित की जा रही है तथा राज्य सरकार हर वर्ष अपने आयोजना बजट से इन उपयोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राशि आवंटन भी करती रही है।

- **अनुसूचित जाति उपयोजना :** राज्य में अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति सुधारने के लिये वर्ष 1979 में अनुसूचित जाति उपयोजना को प्रारम्भ किया गया। इस उपयोजना का आकार राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के आधार पर तय किया गया है अर्थात राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुपात में अनुसुचित जाति उपयोजना का बजट आवंटित होना चाहिये।

  राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल 122.21 लाख थी जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 17.80 प्रतिशत है। इसलिये राज्य के कुल आयोजना बजट की कम से कम 17.8 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति उपयोजना के लिये आवंटित होनी चाहिये।

- **जनजाति उपयोजना :** राजस्थान सरकार द्वारा पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 1974 में जनजाति उपयोजना का क्रियान्वयन राज्य में प्रारम्भ किया गया। जनजाति उपयोजना का आकार राज्य में जनजाति की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है अर्थात राज्य में जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में जनजाति उपयोजना का बजट आवंटित किया जाना चाहिये।

  राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 13.50 प्रतिशत है। इसलिये राज्य के कुल आयोजना बजट की कम से कम 13.50 प्रतिशत राशि जनजाति उपयोजना हेतु आवंटित की जानी चाहिये।

राज्य में जनजाति उपयोजना को लागू करने की रणनीति : राज्य सरकार द्वारा जनजाति उपयोजना क्षेत्र के सर्वांगीण विकास एवं उत्थान को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में अनुसूचित जनजाति उपयोजना प्रारम्भ की गई। इस उपयोजना के अंतर्गत राज्य की समस्त जनजातियों से संबंधित योजनाओं को निम्नांकित परियोजनाओं के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है।

- **अनुसूचित क्षेत्र :** राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित 5 जिलों की 23 तहसीलों के 4544 ग्रामों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है जिसमें जनजातियों का सघन आवास है। 2001 की जनगणनानुसार इस क्षेत्र की जनसंख्या 45.14 लाख थी, जिसमें जनजाति जनसंख्या 30.93 लाख रही, जो इस क्षेत्र की जनसंख्या का 68.52 प्रतिशत था। वर्तमान में अनुसूचित क्षेत्र में राज्य के कुल 5 जिले बांसवाडा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ एवं सिरोही सम्मिलित हैं।

- **परावर्तित क्षेत्र विकास उपागमन (माडा) :** जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अतिरिक्त हर जिले को एक इकाई मानते हुए प्रत्येक लघु खण्ड की कुल जनसंख्या 10,000 या इससे अधिक तथा उसमें निवास करने वाली जनजाति की जनसंख्या 50 प्रतिशत हो तथा गांव एक दूसरे से जुड़े हुए हों तथा सीमा पर स्थित सभी ग्रामों में 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की आबादी हो के आधार पर माडा क्षेत्र बनाये गये हैं। माड़ा के अंतर्गत 18 जिलों में 44 माड़ा लघु खण्ड गठित किये गये हैं। 2011 की जनगणना अनुसार इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या 32.95 लाख है जिसमें जनजाति की जनसंख्या 18.30 लाख है।

- **माडा कलस्टर :** ऐसे कलस्टर जिनकी कुल जनसंख्या 5000 या इससे अधिक है तथा जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या जनजाति की है। उनमें 'माड़ा क्लस्टर' योजना लागू की जाकर विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किये जाते हैं। राज्य के 18 जिलों में 11 माडा क्लस्टर्स स्वीकृत हैं जिनमें 159 ग्रामों की कुल 1.21 लाख जनसंख्या सम्मिलित है। इसमें से जनजाति जनसंख्या 0.67 लाख है जो कलस्टर्स की कुल जनसंख्या का लगभग 55.84 प्रतिशत है।

- **सहरिया विकास परियोजना :** राज्य की एक मात्र आदिम जाति सहरिया है जो कि बारां जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसीलों में निवास करती है। उक्त दोनों ही तहसीलों के क्षेत्रों को सहरिया क्षेत्र में सम्मिलित किया जाकर 'सहरिया विकास समिति' का गठन किया गया है। सहरिया क्षेत्र की कुल जनसंख्या 2.73 लाख है जिसमें से सहरिया जनजाति की जनसंख्या 1.02 लाख है जो क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 37.44 प्रतिशत है।

- **बिखरी जनजाति क्षेत्र :** राज्य में जनजाति उपयोजना, माडा लघु खण्ड, माडा कलस्टर एवं सहरिया क्षेत्र के अतिरिक्त 30.51 लाख जनजाति के व्यक्ति 33 जिलों में बिखरे हुए हैं जिन्हें बिखरी जनजाति क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है।

उपयोजना संचालन हेतु योजना आयोग के निर्देश : राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं के बेहतर एवं प्रभावी क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग द्वारा इन उपयोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्न दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। योजना आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अंतर्गत मुख्य प्रावधान निम्न हैं।

- ✓ अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना हेतु केवल वे ही योजनाएं निर्मित एवं लागू की जानी चाहियें, जो दलितों एवं आदिवासियों को सीधे लाभांवित करें।
- ✓ अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना हेतु आवंटित बजट को अन्यत्र व्यय नही किया जाना चाहिये।
- ✓ अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के लिये आवंटित धनराशि का पूर्णतः उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
- ✓ अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं के लिये आवंटित धनराशि का किसी गैर अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास कार्यक्रमों पर खर्च नहीं होने दिया जाये।
- ✓ प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में बची राशि को लेप्स न होने दिया जाकर उसे अगले वर्षों में उपयोग लेने की व्यवस्था हो ताकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं के विकास लक्ष्यों को पूरा किया जा सके।

राज्य में उपयोजना के लिये बजट की प्रकिया : राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत राज्य आयोजना से तय लक्ष्य के अनुसार आवश्यक बजट राशि आवंटित की जानी चाहिये अर्थात उपरोक्त दोनों उपयोजनाओं का आकार उस राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिये।

प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक

विभाग को अपनी वार्षिक आयोजना में अलग से दोनो उपयोजनाओं के लिए क्रमशः "मांग संख्या 51 के अन्तर्गत बजट उपशीर्ष 789 – अनुसूचित जाति उपयोजना" एवं "मांग संख्या 30 के अन्तर्गत बजट उपशीर्ष 796 – जनजाति उपयोजना" निर्धारित करना आवश्यक है। इन मांग संख्याओं तथा बजट शीर्षों के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य बजट से राशि आवंटन किया जाता है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना हेतु जिलास्तर पर दिशानिर्देश : राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के जिलास्तर पर क्रियान्वयन को समझने के लिये जनजाति क्षेत्री विकास विभाग, जिला परिषद–जयपुर, भरतपुर तथा टोंक के विभागीय अधिकारियों से चर्चा की गई। विभागीय अधिकारियों के अनुसार दोनों उपयोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये जिला तथा पंचायत समिति (ब्लॉक) स्तर पर कोई मार्गदर्शिका नहीं है तथा राज्य सरकार या वित्त विभाग से इन उपयोजनाओं के लिये राशि का आवंटन क्रमशः "मांग संख्या 51 में अनुसूचित जाति उपयोजना" एवं "मांग संख्या 30 में जनजाति उपयोजना" हेतु किया जाता है।

साथ ही विभागीय अधिकारियों ने बताया कि उपयोजना हेतु राशि आवंटन के पत्र में मांग संख्या के नीचे लघु बजट शीर्ष 789 एवं 796 का उल्लेख भी किया जाता है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस पत्र के साथ मांग संख्या 51 एवं 30 में आवंटित राशि से किये जाने वाले कार्यों की सूची भी संलग्न की जाती है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना मद में व्यय राशि का लेखा संधारण भी मांग संख्या के आधार पर तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की रिपोर्ट भी मांग संख्या के आधार पर ही तैयार की जाती है।

परन्तु कुछ केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों के दिशानिर्देशों में दलित एवं आदिवासी समुदाय को लाभान्वित करने के स्पष्ट नियम बनाये गये हैं जैसे बी.आर.जी.एफ., तथा अनुप्रति योजना की मार्गदर्शिका में दलित एवं आदिवासी वर्ग को लाभ देने की बात स्पष्ट कही गई है।

राज्य सरकार के आयोजना विभाग का परिपत्र : राजस्थान सरकार के आयोजना विभाग द्वारा दो वर्ष पूर्व 6 फरवरी 2012 को अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के क्रियान्वयन हेतु एक परिपत्र जारी किया गया। इस परिपत्र में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के खर्च के लेखा संधारण हेतु निम्न दिशानिर्देश दिये गये हैं।

- ✓ अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्र (जहां 40 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति या जनजाति की हो) में संचालित व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं का समस्त व्यय तथा आधारभूत संरचना एवं संस्थापन पर होने वाला व्यय उपयोजना का हिस्सा माना जायेगा।
- ✓ अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में संचालित व्यक्तिगत लाभ की तथा अन्य योजनाओं में दलित एवं आदिवासी समुदाय हेतु राशि आवंटन जनसंख्या के अनुपात में किया जायेगा। इसके साथ ही जिन राजकीय कार्यालयों के माध्यम से लाभान्वित किये जाने व्यक्तियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का अनुपात अधिक है उन सभी कार्यालयों का संस्थापन व्यय उपयोजना के अंतर्गत माना जायेगा।

राज्य के आयोजना विभाग द्वारा जारी इस पत्र में हर जगह उपयोजना राशि को विभिन्न मदों में जनसंख्या के अनुपात में व्यय करने तथा उस खर्च के लेखा संधारण रखने हेतु दिशा निर्देश दिये गये हैं। लेकिन इस परिपत्र में कहीं भी उपयोजना हेतु अलग से आयोजना बनाने तथा विभागीय योजनाओं में उपयोजना की आयोजना को शामिल करने पर जोर नहीं दिया गया जबकि योजना आयोग के निर्देशानुसार उपयोजनाओं के लिये अलग से आयोजना तैयार की जायेगी तथा सभी विभाग अपनी आयोजना में उपयोजना को सम्मिलित

करेंगे।

इसके साथ ही इस पत्र में उपयोजना राशि को गैर आयोजना यथा– संस्थापन, यात्रा एवं चिकित्सा पुर्नभुगतान एवं आधारभूत संरचना निर्माण पर व्यय करने की बात भी कही गई है। लेकिन योजना आयोग के निर्देशानुसार उपयोजना राशि केवल आयोजना मद में तथा सीधे लाभ की योजनाओं के अंतर्गत खर्च की जा सकती है। सारांश रूप में इस परिपत्र में राज्य सरकार ने उपयोजना को केवल लेखा संधारण की प्रक्रिया मानकर लेखा संधारण हेतु ही दिशानिर्देश दिये हैं जबकि योजना आयोग के निर्देशानुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना मुख्यतः एक विशेष आयोजना निर्माण की प्रक्रिया है।

राज्य में उपयोजना के क्रियान्वयन की निगरानी : राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के क्रियान्वयन की व्यवस्थित एवं सतत निगरानी सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा दोनों उपयोजनाओं के लिये अलग अलग नोडल विभाग बनाये गये हैं। राज्य में अनसूचित जाति उपयोजना हेतु 'सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग' एवं जनजाति उपयोजना के लिए 'जनजाति क्षेत्री विकास विभाग' को नोडल विभाग बनाया गया है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना अन्तर्गत बनाये गये इन नोडल विभागों के प्रमुख कार्यों में उपयोजनाओं के क्रियान्वयन को बेहतर बनाना तथा उनकी समय रहते सतत निगरानी करना मुख्य है। इन उपयोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बनाये गये नोडल विभागों के अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं की निगरानी राज्य स्तर पर संबंधित विभागाध्यक्षों तथा राज्य स्तर पर गठित राज्य स्तरीय दिशा निर्देशन समिति द्वारा तथा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा भी की जाती है।

राज्य में उपयोजना संचालन हेतु अधिनियम बनाने की मांग : अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं के लागू होने के 35 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी दोनों उपयोजनाओं में मानदंड से बहुत ही कम राशि आवंटित एवं व्यय की जा रही है तथा यह स्थिति केन्द्र एवं देश के लगभग सभी राज्यों में देखी जा सकती है। अतः देश में विगत 4–5 वर्षों से इन उपयोजनाओं के लिये प्रभावी एवं ठोस कानून बनाने की मांग की जाती रही है।

देश में सर्वप्रथम आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना को कानूनी स्वरूप दिया गया। आन्ध्रा सरकार द्वारा वर्ष 2012 के अंतिम त्रैमास में 'आन्ध्र प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना (वित्तीय संसाधनों की आयोजना, आवंटन एवं उपयोगिता) कानून' प्रदेश में लागू किया गया। हांलाकि आन्ध्रा सरकार द्वारा पारित कानून से जनसंगठन, संस्थाएं एवं सामाजिक कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं हैं और वे कानून में संशोधन की बात कह रहे हैं लेकिन फिर भी आन्ध्रा सरकार के इस प्रयास को उपयोजनाओं के प्रभावी कियान्वयन के लिये महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 के जून माह में अनुसूचित जाति उपयोजना के क्रियान्वयन हेतु एक प्रस्तावित विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया था। भारत सरकार द्वारा तैयार इस विधेयक से विभिन्न स्वयं सेवी संस्थान तथा दलित मुद्दों पर कार्य करने वाले संगठन सहमत नहीं है तथा वे इस प्रस्तावित विधेयक में समुचित बदलाव करने की मांग कर रहे हैं।

राजस्थान सरकार का विधेयक : राज्य के तात्कालिक मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा बजट भाषण 2013–14 में की गई घोषणा के अनुसार राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना विधेयक, 2013 का प्रारूप तैयार किया था, जिसका नाम 'अनुसूचित जाति उपयोजना एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना (वित्तीय संसाधनों की आयोजना, आवंटन एवं उपयोगिता) विधेयक 2013' रखा गया था। जो

राज्य में अनुसूचित जाति तथा जनजाति उपयोजना को कानूनी अधिकार प्रदान करेगा। राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के क्रियान्वयन के लिये प्रस्तावित विधेयक के मुख्य बिन्दु तथा उनका विश्लेषण निम्न है।

- ✓ विधेयक में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में राज्य की कुल योजना परिव्यय के एक हिस्से को निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। विधेयक में यह भी कहा गया है कि इन दोनों उपयोजनाओं पर खर्च का लेखा इस कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। परन्तु इस प्रारूप में कहीं भी इस प्रक्रिया की विस्तृत चर्चा नहीं की गई है।
- ✓ धारा 6 के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों को सामान्य योजनाओं का लाभ मिलेगा। परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अंतर्गत दिये जाने वाले लाभ सामान्य योजनाओं से मिल रहे लाभ के अतिरिक्त होंगे।
- ✓ विधेयक में यह प्रावधान है कि योजना विभाग द्वारा सभी विभागों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना के सम्भावित योजना आकार की सूचना दी जायेगी। परन्तु इसकी कोई समयावधि निश्चित नहीं की गई हैं।
- ✓ विधेयक में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना परिषद स्थापित किये जाने का प्रावधान है, जो राज्य सरकार को अनुसूचित जाति उपयोजना एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित नीति बनाने में परामर्श देने का कार्य करेगा।
- ✓ विधेयक में नोडल विभाग (अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए आदिवासी क्षेत्र विकास विभाग तथा अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) द्वारा योजना विभाग को सभी विभागों के अनुसूचित जाति उपयोजना एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना के निरीक्षण व मूल्यांकन में परामर्श / सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
- ✓ इस प्रस्तावित विधेयक के मसौदे में जनजाति उपयोजना अंतर्गत जनजाति कल्याण निधि (महराष्ट्रा पैटर्न) के अंतर्गत व्यय का जिक्र तक नहीं किया गया है।
- ✓ विधेयक में अनूसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के लिये आयोजना निर्माण के अंतर्गत जेण्डर बजट को कैसे लागू जायेगा इसे विधेयक में स्पष्ट नहीं किया गया है।
- ✓ विधेयक में पारदर्शिता व जवाबदेही का प्रावधान है जिसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया गया है कि नोड़ल विभाग राज्य विधानसभा के सम्मुख अनुसूचित जाति उपयोजना एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना के क्रियान्वयन की स्थिति की रिपोर्ट रखेंगे।
- ✓ प्रस्तावित विधेयक में यह भी प्रावधान है कि उपयोजना की राशि का एक कार्यक्रम से दूसरे कार्यक्रम में समायोजन किया जा सकता है। साथ ही, यदि किसी विभाग में प्रगति धीमी हो तो, वित्त विभाग उपयोजनाओं की राशि एक विभाग से दूसरे विभाग में हस्तानान्तरित करने पर विचार कर सकता है।

इस प्रस्तावित विधेयक के विश्लेषण से स्पष्ट है कि हालांकि पिछली सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना हेतु एक विधेयक का कमजोर मसौदा तैयार किया था लेकिन यदि वर्तमान सरकार इस विधेयक को कुछ बदलावों के साथ प्रदेश में लागू करती है तो यह उपयोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

अध्याय – 3

राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना की स्थिति

'राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के क्रियान्वयन का जिला एवं निम्न स्तर पर अध्ययन' के अंतर्गत राज्य सरकार के आयोजना विभाग, उपयोजना के नोड़ल विभाग (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं जनजाति क्षेत्री विकास विभाग) तथा वित्त विभाग के बजट आंकड़ों का अध्ययन तथा विश्लेषण किया गया है।

आयोजना विभाग, नोडल विभाग एवं वित्त विभाग के आंकड़ों में विषमता : राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के आवंटन की जानकारी में आयोजना विभाग, वित्त विभाग एवं उपयोजना के नोड़ल विभाग (जनजाति क्षेत्री विकास विभाग तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) के आंकडों में भारी विषमताएं हैं।

राज्य के आयोजना विभाग तथा नोडल विभागों द्वारा हर वर्ष उपयोजनाओं के लिये राज्य के आयोजना बजट से तय मानदण्ड (जनसंख्या के अनुपात में) के अनुरूप राशि जारी होने की सूचना दी जाती है। लेकिन यदि राज्य के वित्त विभाग के बजट पुस्तिकाओं को आधार माना जाये तो दोनों उपयोजनाओं के लिये प्रतिवर्ष तय मानदण्ड़ से लगभग 40 से 50 प्रतिशत कम राशि आवंटित एवं व्यय होने की सूचना प्राप्त होती है।

उपयोजना के बजट आंकड़ों में विषमताएं होने के बारे में विभागीय अधिकारियों ने बताया कि आयोजना विभाग उपयोजना हेतु आदर्श प्रतिरूप में राशि आवंटन करता है, जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति की राज्य में जनसंख्या के प्रतिशत के बराबर राशि आवंटन दर्शाया जाता है। लेकिन वित्त विभाग उपयोजना राशि का आवंटन वर्तमान वस्तुस्थिति के अनुसार अर्थात वर्तमान में संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अनुरूप करता है। जिसके कारण उपयोजना हेतु आवंटन के आंकड़ों में विषमताएं देखने में आती हैं।

अनसूचित जनजाति उपयोजना के लिये आवंटन के आंकड़े

राशि करोड़ में

क्र.सं.	वर्ष	आयोजना विभाग	जनजाति विभाग	वित्त विभाग
1	**2011-12**	3567.88 (11.61%)	3662.16 (12.52%)	1312.34 (6.80%)
2	**2012-13**	4859.21 (13.71%)	4675.58 (12.86%)	1826.59 (6.73%)
3	**2013-14**	5769.46 (12.93%)	5493.57 (12.81%)	2959.52 (8.44%)

स्रोतः जनजाति क्षेत्री विकास विभाग से प्राप्त जानकारी, आयोजना विभाग से प्राप्त आयोजना विवरण, बजट पुस्तिका, वित्त विभाग के आंकड़ों के आधार पर
( ) में राज्य के आयोजना बजट से आवंटन का प्रतिशत दर्शाया गया है।
नोटः वित्त विभाग से अभिप्राय वित्त विभाग की बजट पुस्तिकाओं से प्राप्त आंकड़ोसे है।

उपरोक्त सारणी के अध्ययन से स्पष्ट है कि आयोजना विभाग हर वर्ष राज्य के आयोजना बजट की तुलना में जनजाति उपयोजना हेतु तय प्रतिशत के लगभग बराबर राशि जारी होने की सूचना देता है। जनजाति क्षेत्री विकास विभाग भी जनजाति उपयोजना हेतु तय मानदण्ड के अनुरूप राशि आवंटन की बात कहता है। लेकिन वित्त विभाग के बजट पुस्तिकाओं से जनजाति उपयोजना हेतु तय मानदण्ड से कम राशि जारी होने की सूचना प्राप्त हुई।

अनूसूचित जाति उपयोजना के लिये आवंटन के आंकड़े

राशि करोड़ में

क्र.सं.	वर्ष	आयोजना विभाग	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	वित्त विभाग
1	2011–12	4344.10 (15.11%)	3881.54 (14.10%)	1568.95 (7.63%)
2	2012–13	6286.63 (17.74%)	4935.49 (15.13%)	2232.49 (8.22%)
3	2013–14	6865.40 (17.10%)	6789.98 (16.77%)	3431.61 (9.80%)

स्रोतः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से प्राप्त जानकारी, आयोजना विभाग से प्राप्त आयोजना विवरण, बजट पुस्तिका, वित्त विभाग के आंकड़ों के आधार पर
( ) में आवंटन का प्रतिशत दर्शाया गया है।
नोटः वित्त विभाग से अभिप्राय वित्त विभाग की बजट पुस्तिकाओं से प्राप्त आंकड़ो से है।

उपरोक्त सारणी के अध्ययन से स्पष्ट है कि आयोजना विभाग तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु राज्य के आयोजना बजट से तय मानदण्ड़ के लगभग बराबर राशि जारी होने की सूचना देते हैं। लेकिन वित्त विभाग के आंकड़ों से अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु तय प्रतिशत से कम राशि जारी होने की सूचना मिलती है।

अध्ययन में शामिल विभागों के आयोजना एवं उपयोजना बजट का विश्लेषण : राज्य बजट से अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना हेतु वार्षिक बजट आवंटन तथा उसकी सूचना राज्य सरकार द्वारा 'मांग सख्या 30 में लघु शीर्ष 789' तथा 'मांग सख्या 51 में लघु शीर्ष 796' के माध्यम से दी जाती है। इस अध्ययन के लिये चयनित 5 विषयों से संबंधित विभागों क्रमशः शिक्षा, समाज कल्याण, उर्जा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा ग्रामीण विकास को विभाग के आयोजना बजट की तुलना में उपयोजना बजट का विवरण यहां प्रस्तुत किया गया है।

चयनित विषयों के लिये अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत मुख्यशीर्षवार आवंटन

राशि करोड़ में

क्र.सं.	विभाग का नाम	2011–12 (वास्तविक)		2012–13 (संशोधित)		2013–14 (अनुमानित)	
		विभाग का आयोजना बजट	उपयोजना हेतु आवंटन	विभाग का आयोजना बजट	उपयोजना हेतु आवंटन	विभाग का आयोजना बजट	उपयोजना हेतु आवंटन
1	शिक्षा	2332.38	16.99 **(0.73)**	2575.83	37.10 **(1.44)**	3606.14	190.60 **(5.29)**
2	समाज कल्याण	730.95	263.81 **(36.09)**	939.21	311.23 **(33.14)**	1265.64	371.38 **(29.34)**
3	स्वास्थ्य	675.98	86.43 **(12.79)**	777.71	117.43 **(15.10)**	1476.31	172.17 **(11.66)**
4	उर्जा	3263.95	239.14 **(7.33)**	4266.04	373.17 **(8.75)**	5237.00	529.17 **(10.10)**
5	ग्रामीण विकास	3403.60	76.32 **(2.24)**	3532.98	85.49 **(2.42)**	3799.38	81.08 **(2.13)**

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग के आंकड़ों के आधार पर

( ) में आवंटन का प्रतिशत दर्शाया गया है।

उपरोक्त सारणी में समस्त 5 विभागों के आयोजना एवं उपयोजना बजट के अध्ययन से ज्ञात होता है कि अनुसूचित जाति उपयोजना के लिये वर्ष 2011–12 में केवल समाज कल्याण विभाग को, वर्ष 2012–13 में समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग को तथा वर्ष 2013–14 में केवल समाज कल्याण विभाग को तय मानदण्ड़ के अनुरूप राशि आवंटन हुआ है।

चयनित विषयों के लिये जनजाति उपयोजना अंतर्गत मुख्यषीर्षवार आवंटन

राशि करोड़ में

क्र.सं.	विभाग का नाम	2011–12 (वास्तविक)		2012–13 (संशोधित)		2013–14 (अनुमानित)	
		विभाग का आयोजना बजट	उपयोजना हेतु आवंटन	विभाग का आयोजना बजट	उपयोजना हेतु आवंटन	विभाग का आयोजना बजट	उपयोजना हेतु आवंटन
1	शिक्षा	2332.38	81.00 **(3.47)**	2575.83	75.16 **(2.92)**	3606.14	212.56 **(5.90)**
2	समाज कल्याण	730.95	400.63 **(54.81)**	939.21	454.53 **(48.39)**	1265.64	566.64 **(44.77)**
3	स्वास्थ्य	675.98	31.09 **(4.60)**	777.71	82.02 **(10.55)**	1476.31	129.86 **(8.80)**
4	उर्जा	3263.95	175.07 **(5.36)**	4246.04	273.14 **(6.40)**	5237.00	379.19 **(7.24)**
5	ग्रामीण विकास	3403.60	57.43 **(1.69)**	3532.98	62.95 **(1.78)**	3799.38	61.49 **(1.62)**

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग के आंकड़ों के आधार पर
( ) में आवंटन का प्रतिशत दर्शाया गया है।

उपरोक्त सारणी में सभी 5 विभागों को जारी आयोजना बजट एवं उपयोजना राशि के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वर्ष 2011–12 में केवल समाज कल्याण विभाग को, वर्ष 2012–13 में समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग को तथा वर्ष 2013–14 में केवल समाज कल्याण विभाग को जनजाति उपयोजना के लिये तय मानदण्ड़ के अनुरूप राशि आवंटन हुआ है।

यदि सारांश रूप में देखा जाये तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के आवंटन में केवल समाज कल्याण विभाग को हर वर्ष तय मानदण्ड़ के बराबर या अधिक राशि का आवंटन हुआ है। जिसका मुख्य कारण समाज कल्याण विभाग का अनुसूचित जाति उपयोजना का नोडल विभाग होना है तथा प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण से संबंधित अधिकांश योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी इसी विभाग के माध्यम से किया जाता है।

अध्याय – 4

अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के क्रियान्वयन का अध्ययन

अध्ययन की आवश्यकता : राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना का राज्य में क्रियान्वयन प्रारम्भ किया गया। इन उपयोजनाओं के लागू होने के बाद राज्य में 6 पंचवर्षीय परियोजनाओं का कार्यकाल पूरा हो चुका है एवं 7 वीं पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ हो चुका है। लेकिन अभी भी उपरोक्त दोनों उपयोजनाओं के लिये तय मानदंड़ों के अनुसार राशि आवंटन एवं व्यय संभव नहीं हो सका है। देखने में आया है कि राज्य के कई विभागों ने तो अभी तक इन उपयोजनाओं के लिये खाते तक नहीं खोले हैं।

राज्य के आयोजना बजट से हर वर्ष अनुसुचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के लिये तय मानदंड से बहुत कम राशि का आवंटन होता रहा है। वर्ष 2012–13 में अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु 17.16 प्रतिशत की बजाय 8.11 प्रतिशत तथा जनजाति उपयोजना के लिये 12.56 प्रतिशत के बजाय 7.14 प्रतिशत राशि का आवंटन हुआ है। वर्ष 2013–14 में अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु 17.16 प्रतिशत की बजाय 9.80 प्रतिशत तथा जनजाति उपयोजना के लिये 12.56 प्रतिशत के बजाय 8.44 प्रतिशत राशि का आवंटन किया गया है। साथ ही यह भी देखने में आया है कि उपरोक्त दोनों उपयोजनाओं के अंतर्गत संचालित सामान्य एवं विशेष कार्यक्रम/योजनाओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी भी विभागों के पास उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार के आयोजना विभाग, उपयोजना हेतु निर्धारित नोड़ल विभाग तथा वित्त विभाग के बजट आंकड़ों में भी भारी विषमताएं हैं तथा दोनों उपयोजनाओं पर खर्च राशि में पारदर्शिता का अभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है।

अध्ययन के उद्देश्य :

- ✓ राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के क्रियान्वयन की रणनीति एवं कार्य योजना की समझ बनाना।
- ✓ उपयोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही मूल समस्याओं अध्ययन करना।
- ✓ उपयोजनाओं की वांछितों तक पहुंच का अध्ययन करना।
- ✓ जिला, पंचायत एवं ग्राम स्तर पर उपयोजना की भौतिक एवं वित्तिय स्थिति का अध्ययन।
- ✓ उपयोजनाओं के बारे में विभागीय एवं जमीनी स्तर पर जागरूकता को बढ़ाना।
- ✓ अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के बजट पर सतत निगरानी रखना।

अध्ययन का क्षेत्र : अध्ययन के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य के समस्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में से तीन–तीन जिलों का चयन किया गया है। जिनमें तीन जिले अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु तथा तीन जिले अनुसूचित जनजाति उपयोजना हेतु चयन किये गये हैं।

अनुसूचित जाति उपयोजना के अध्ययन हेतु चयनित जिले :

- ✓ भरतपुर
- ✓ अजमेर

- ✓ टोंक

अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अध्ययन हेतु चयनित जिले :

- ✓ उदयपुर
- ✓ बांसवाडा
- ✓ बारां

अध्ययन की प्रणाली : अनुसुचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के क्रियान्वयन की राज्य में स्थिति जानने के लिये प्रत्येक जिले से दो पचांयत समितियों तथा प्रत्येक पंचायत समिति से एक ग्राम पंचायत का चयन किया गया है, जिनसे अध्ययन के लिये सूचनाएं प्राप्त की गईं हैं। इन सूचनाओं के आधार पर उपयोजनाओं के क्रियान्वयन का जमीनी तथा विभागीय स्तर पर विश्लेषण संभव हो सका है।

अध्ययन के लिये प्रत्येक जिले में तीन स्तरों (जिला, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर) के 5 विभागों क्रमशः चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, समाज कल्याण, ग्रामीण विकास, उर्जा एवं शिक्षा से अनुसुचित जाति एवं जनजाति उपयोजना से संबंधित सूचनाएं ली गई हैं। सूचनाओं की प्रमाणिकता को ध्यान में रखते हुए दोनों उपयोजनाओं की जानकारी प्रत्येक स्तर पर विभागीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों से सपंर्क करके प्राप्त की गई है।

अध्ययन की तकनीक : अनुसुचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के क्रियान्वयन का जिला एवं निम्न स्तर पर अध्ययन के दौरान सूचनाएं प्राप्त करने के लिये मुख्य रूप से दो तकनीकों का प्रयोग किया गया है।

- **प्रश्नावली :** इस अध्ययन में प्राथमिक तकनीक के रूप में प्रश्नावली का उपयोग किया गया है, अध्ययन की सूक्ष्मता को ध्यान में रखते हुए दो प्रश्नावलीयों के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त की गई हैं।
    1. प्रथम प्रश्नावली के द्वारा अध्ययन से संबंधित 5 विभागों के तीन स्तरों (जिला, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर) पर नियुक्त कर्मचारी/अधिकारीयों से सूचनाएं प्राप्त की गई हैं। इस प्रश्नावली के अंतर्गत विभागीय कर्मचारियों से उपयोजना के क्रियान्वयन की स्थिति, निगरानी, मार्गदर्शिका, समस्या, उपयोजना बजट एवं परिणामों के संबंध में जानकारी ली गई।
    2. द्वितीय प्रश्नावली उपयोजना अंतर्गत संचालित कार्यक्रम/योजनाओं की जानकारी लेने से संबंधित थी। इस प्रश्नावली में योजनाओं के क्रियान्वयन, उसके प्रभाव, समस्या एवं समुचित समाधान के बारे में सूचनाएं संग्रहित की गईं।
- **डेटाशीट :** द्वितीय तकनीक के रूप में समस्त 6 जिलों के 5 विभागों से डेटाशीट के माध्यम से सूचनाएं एकत्र की गईं जिसमें उपयोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विभागीय बजट, उपयोजना खर्च, प्रगति रिर्पोट एवं लाभान्वितों की सूची एवं अन्य जानकारीयां प्राप्त की गईं।

अध्ययन की सीमाएं : सर्वे अध्ययन के दौरान निम्न सीमाएं तय गई हैं जिनके आधार पर कुछ तथ्यों के परिणामों में अथवा विस्तृत स्तर पर किये गये अध्ययन परिणामों में अंतर हो सकता है लेकिन हरेक स्तर पर इन सीमाओं को कम किए जाने का यथासंभव प्रयास किया गया है :

- ➢ यह अध्ययन एक छोटे नमूने, जो कि राज्य के 6 जिलों के 5 विभागों से एकत्रित आंकड़ों पर

आधारित है।

- यह अध्ययन प्रत्येक जिले तथा जिले से चुने हुए 2 पंचायत समितियों एवं प्रत्येक पंचायत समिति के एक ग्राम पंचायत के 5 विभागों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है।

सर्वे के दौरान जानकारीयां लेने हेतु 5 विभागों के निम्न सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों से संपर्क किया गया परन्तु सभी 6 जिलों में तीनों स्तरों पर बजट की सूचनाएं केवल टोंक जिले के विभागों से ही प्राप्त हो सकी।

विभाग	जिलास्तर	पंचायत समिति स्तर	ग्राम पंचायत स्तर
शिक्षा	• जिला शिक्षा अधिकारी • उप जिला शिक्षा अधिकारी	• ब्लॉक कार्यालय अध्यक्ष • वरि. उप जिला शिक्षा अधिकारी • शिक्षा प्रसार अधिकारी	• विद्यालय शिक्षक
समाज कल्याण	• सहायक निदेशक • उप निदेशक • जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी	• विकास अधिकारी	• ग्राम पंचायत सचिव
स्वास्थ्य	• मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी • अति. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी • उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	• ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी • ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी	• ए.एन.एम. • जी.एन.एम. • प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अधिकारी
उर्जा	• मुख्य अभियन्ता	• ब्लॉक कार्यालय अधिकारी	• ग्राम पंचायत स्तरीय अधिकारी
ग्रामीण विकास	• मुख्य कार्यकारी अधिकारी • अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी	• विकास अधिकारी • पंचायत प्रसार अधिकारी	• ग्राम पंचायत सचिव

अध्याय – 5

अध्ययन के परिणाम

साक्षात्कार अनुसूची से प्राप्त परिणाम : 'राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के क्रियान्वयन का जिला एवं निम्न स्तर पर अध्ययन' के अंतर्गत राज्य के 6 जिलों से, जिला, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर 5 विभागों क्रमशः शिक्षा, समाज कल्याण, उर्जा, ग्रामीण विकास तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से दोनों उपयोजनाओं के संबंध में सूचनाएं एकत्रित की गईं। इस अध्याय में अध्ययन से प्राप्त परिणामों को प्रस्तुत किया गया है।

विभागीय कर्मचारियों में उपयोजना के संबंध में जानकारी : इस अध्ययन के लिये प्रत्येक जिले में तीन स्तरों क्रमशः जिला, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के 5 विभागों से सूचनाएं प्राप्त किया जाना प्रस्तावित था। लेकिन विभागीय अधिकारियों द्वारा सहयोग न देने की वजह से कुल प्रस्तावित साक्षात्कार अनुसूचीयों मे से केवल 50 प्रतिशत ही भरी जा सकीं। इन अनुसूचीयों से प्राप्त जानकारी के आधार पर 'विभागीय कर्मचारियों में उपयोजना के संबंध में जानकारी' विषय के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण परिणामों को दिखाया गया है।

सारणी – 1
उपयोजना के संबंध में जानकारी का विवरण

जिले	स्तर	हां	नहीं	पता नहीं	कुल
टोंक	जिला	2	0	2	4
	ब्लॉक	5	1	3	9
	ग्राम	4	5	6	15
	कुल	**11**	**6**	**11**	**28**
बारां	जिला	1	0	4	5
	ब्लॉक	1	1	2	4
	ग्राम	0	4	0	4
	कुल	**2**	**5**	**6**	**13**
भरतपुर	जिला	4	1	3	8
	ब्लॉक	0	15	2	17
	ग्राम	1	4	0	5
	कुल	**5**	**20**	**5**	**30**
बांसवाडा	जिला	2	0	0	2
	ब्लॉक	5	1	0	6
	ग्राम	0	0	0	0
	कुल	**7**	**1**	**0**	**8**
उदयपुर	जिला	1	0	0	1
	ब्लॉक	4	0	3	7
	ग्राम	5	0	1	6
	कुल	**10**	**0**	**4**	**14**

अजमेर	जिला	5	0	0	5
	ब्लॉक	5	0	3	8
	ग्राम	7	0	4	11
	कुल	**17**	**0**	**7**	**24**
	महायोग	**52**	**32**	**33**	**117**

स्रोत : बार्क सर्वे के आधार पर

सारणी संख्या 1 के अनुसार जब उपरोक्त 6 जिलों के 5 चयनित विभागों में तीनों स्तरों पर पदस्त अधिकारियों से उपयोजना के संबंध में जानकारी होने की सूचना ली गई, तब कुल 117 उत्तरदाताओं में से लगभग 45 प्रतिशत (कुल 52) उत्तरदाताओं ने उपयोजना के संबंध में उन्हें जानकारी होने की बात कही। जबकि लगभग 55 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने उपयोजनाओं के संबंध में कोई जानकारी नहीं होने की बात कही। उपयोजनाओं के संबंध में जानकारी नहीं होने की सूचना देने वालों का सर्वाधिक प्रतिशत भरतपुर, बांरा एवं टोंक जिलों में रहा।

सारणी – 2
उपयोजना की जानकारी रखने वाले उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

जिला	जिला	ब्लॉक	ग्राम	कुल
टोंक	2	5	4	**11**
बारां	1	1	0	**2**
भरतपुर	4	0	1	**5**
बांसवाडा	2	5	0	**7**
उदयपुर	1	4	5	**10**
अजमेर	5	5	7	**17**
कुल	**15**	**20**	**17**	**52**
प्रतिशत	**28.85**	**38.46**	**32.69**	**100**

स्रोत : बार्क सर्वे के आधार पर

सारणी संख्या 2 के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के बारे में जानकारी रखने वाले कुल 52 उत्तरदाताओं में से लगभग 29 प्रतिशत जिला स्तर के, 38 प्रतिशत पंचायत समिति स्तर के तथा 33 प्रतिशत ग्राम पंचायत स्तर के विभागों से संबंधित रहे।

टोंक जिले के कुल 11 उत्तरदाताओं में 2 जिला, 5 पंचायत समिति एवं 4 ग्राम स्तर के विभागों से संबंधित थे। भरतपुर के कुल 5 उत्तरदाताओं में से 4 जिला एवं 1 ग्राम स्तर के विभागों से संबंधित थे। बांसवाडा के कुल 7 उत्तरदाताओं में से 2 जिला एवं 5 पंचायत समिति स्तर के कर्मचारी थे। उदयपुर के कुल 10 उत्तरदाताओं में से 1 जिला, 4 पंचायत समिति एवं 5 ग्राम स्तर के अधिकारी थे। अजमेर के कुल 17 उत्तरदाताओं में से 5 जिला, 5 पंचायत समिति एवं 7 ग्राम स्तर के विभागीय कर्मचारी थे।

सारणी – 3
वार्षिक आयोजना में उपयोजनाओं हेतु प्रावधान की जानकारी

जिले	हां	नहीं	पता नहीं	कुल
टोंक	11	0	0	**11**
भरतपुर	0	2	3	**5**
अजमेर	3	1	13	**17**
बारां	1	1	0	**2**
बांसवाडा	2	3	2	**7**
उदयपुर	9	0	1	**10**
कुल	**26**	**7**	**19**	**52**

स्रोत : बार्क सर्वे के आधार पर

सारणी संख्या 3 का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि उपरोक्त जिलों के विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों से जब उनके विभाग की वार्षिक आयोजना में उपयोजना को सम्मिलित करने की जानकारी चाही गई तब कुल 52 उत्तरदाताओं में से लगभग 50 प्रतिशत (कुल 26) उत्तरदाताओं ने उनके विभाग की वार्षिक आयोजना में उपयोजनाओं के सम्मिलित होने की बात स्वीकार की। साथ ही लगभग 50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं होने या उनके विभाग की वार्षिक आयोजना में उपयोजना को सम्मिलित नहीं किये जाने की सूचना दी।

सारणी – 4
उपयोजना अंतर्गत विशेष योजनाओं का संचालन

जिले	हां	नहीं	पता नहीं	कुल
टोंक	7	1	3	**11**
भरतपुर	0	2	3	**5**
अजमेर	1	4	12	**17**
बारां	1	1	0	**2**
बांसवाडा	1	6	0	**7**
उदयपुर	6	1	3	**10**
कुल	**16**	**15**	**21**	**52**

स्रोत : बार्क सर्वे के आधार पर

सारणी संख्या 4 का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि जब उपरोक्त 6 जिलों के 52 उत्तरदाताओं से उनके विभाग में उपयोजना अंतर्गत विशेष योजनाओं के संचालन की सूचना ली गई तब कुल 52 उत्तरदाताओं में से लगभग 31 प्रतिशत (कुल 16) उत्तरदाताओं ने उनके विभाग में उपयोजना अंतर्गत विशेष योजनाओं के संचालन की बात कही। सर्वाधिक लगभग 41 प्रतिशत (कुल 21) उत्तरदाताओं ने इस संबंध में उनको जानकारी नहीं होने तथा 28 प्रतिशत (कुल 15) उत्तरदाताओं ने उनके विभाग में उपयोजनाओं के लिये किन्हीं विशेष योजनाओं के संचालन नहीं होने की जानकारी दी।

सारणी – 5
उपयोजना के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका की जानकारी

जिले	हां	नहीं	पता नहीं	कुल
टोंक	3	4	4	**11**
भरतपुर	0	4	1	**5**
अजमेर	4	1	12	**17**
बारां	2	0	0	**2**
बांसवाडा	2	3	2	**7**
उदयपुर	7	1	2	**10**
कुल	**18**	**13**	**21**	**52**

स्रोत : बार्क सर्वे के आधार पर

सारणी संख्या 5 के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उपरोक्त जिलों के सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों से जब उपयोजनाओं के संचालन हेतु कोई मार्गदर्शिका होने की जानकारी चाही गई तब कुल 52 उत्तरदाताओं में से लगभग 35 प्रतिशत (कुल 18) उत्तरदाताओं ने उपयोजनाओं के संचालन हेतु मार्गदर्शिका होने की बात स्वीकार की। जबकि सर्वाधिक लगभग 40 प्रतिशत (कुल 21) उत्तरदाताओं ने माना कि उपयोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये कोई मार्गदर्शिका है या नहीं इस संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। इसके साथ ही लगभग 25 प्रतिशत (कुल 13) उत्तरदाताओं ने उपयोजनाओं के संचालन के लिये किसी प्रकार की कोई मार्गदर्शिका नहीं होने की बात कही।

सारणी – 6
उपयोजना हेतु मार्गदर्शिका के प्रारूप की जानकारी

जिले	लिखित	मौखिक	पता नहीं	कुल
टोंक	4	0	7	**11**
भरतपुर	0	0	5	**5**
अजमेर	4	1	12	**17**
बारां	2	0	0	**2**
बांसवाडा	2	0	5	**7**
उदयपुर	5	0	5	**10**
कुल	**17**	**1**	**34**	**52**

स्रोत : बार्क सर्वे के आधार पर

सारणी संख्या 6 को देखने से स्पष्ट होता है कि सभी 6 जिलों के 52 उत्तरदाताओं से जब अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका के प्रारूप की जानकारी ली गई तब कुल 52 उत्तरदाताओं में से लगभग 32 प्रतिशत (कुल 17) उत्तरदाताओं ने उपरोक्त दोनों उपयोजनाओं के लिये मार्गदर्शिका लिखित रूप में होने की जानकारी दी। जबकि सर्वाधिक लगभग 64 प्रतिशत (कुल 34) उत्तरदाताओं ने इस संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं होने की बात कही ।

सारणी – 7
उपयोजना का संचालन मार्गदर्शिका अनुसार होने की जानकारी

जिले	हां	नहीं	पता नहीं	कुल
टोंक	4	0	7	**11**
भरतपुर	0	0	5	**5**
अजमेर	6	0	11	**17**
बारां	2	0	0	**2**
बांसवाडा	4	2	1	**7**
उदयपुर	9	0	1	**10**
कुल	**25**	**2**	**25**	**52**

स्रोत : बार्क सर्वे के आधार पर

सारणी संख्या 7 का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि जब विभागीय कर्मचारियों/ अधिकारियों से अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं का क्रियान्वयन मार्गदर्शिका के अनुरूप होने की चर्चा की गई तो कुल 52 उत्तरदाताओं में से लगभग 48 प्रतिशत (कुल 25) उत्तरदाताओं ने उपरोक्त दोनों उपयोजनाओं का संचालन मार्गदर्शिका के अनुसार होने की जानकारी दी। जबकि लगभग 48 प्रतिशत (कुल 25) उत्तरदाताओं ने माना कि उपयोजनाओं का क्रियान्वयन मार्गदर्शिका के अनुसार हो रहा है या नहीं इस संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है।

सारणी – 8
उपयोजना राशि को अन्य मदों में व्यय करने की जानकारी

जिले	हां	नहीं	पता नहीं	कुल
टोंक	0	6	5	**11**
भरतपुर	0	0	5	**5**
अजमेर	0	4	13	**17**
बारां	0	0	2	**2**
बांसवाडा	0	4	3	**7**
उदयपुर	0	10	0	**10**
कुल	**0**	**24**	**28**	**52**

स्रोत : बार्क सर्वे के आधार पर

सारणी संख्या 8 के अध्ययन से अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना की राशि उपयोजना के अतिरिक्त अन्य मदों में खर्च किये जाने की जानकारी को समझा जा सकता है। अध्ययन में शामिल कुल 52 उत्तरदाताओं में से लगभग 46 प्रतिशत (कुल 24) उत्तरदाताओं ने उपरोक्त दोनों उपयोजनाओं के लिये आवंटित राशि उपयोजना के अतिरिक्त मद में खर्च नहीं करने की जानकारी दी। जबकि सर्वाधिक लगभग 54 प्रतिशत (कुल 28) उत्तरदाताओं ने इस संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं होने की बात कही। उक्त सारणी से स्पष्ट है कि सरकारी कर्मचारियों /अधिकारियों में उपयोजनाओं के क्रियान्वयन की स्पष्ट जानकारी का अभाव है जिसके चलते उपरोक्त दोनों उपयोजनाओं का जमीनी स्तर पर बेहतर संचालन संभव नहीं हो पा रहा है।

सारणी – 9
उपयोजना हेतु निगरानी व्यवस्था होने की जानकारी

जिले	हां	नहीं	पता नहीं	कुल
टोंक	5	2	4	**11**
भरतपुर	1	2	2	**5**
अजमेर	8	2	7	**17**
बारां	2	0	0	**2**
बांसवाडा	4	1	2	**7**
उदयपुर	8	0	2	**10**
कुल	**28**	**7**	**17**	**52**

स्रोत : बार्क सर्वे के आधार पर

सारणी संख्या 9 के अनुसार जब अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं के लिये निगरानी व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की गई तब कुल 52 उत्तरदाताओं में से लगभग 54 प्रतिशत (कुल 28) उत्तरदाताओं ने उपरोक्त दोनों उपयोजनाओं के लिये उचित निगरानी व्यवस्था होने की बात कही। जबकि लगभग 33 प्रतिशत (कुल 17) उत्तरदाताओं ने माना कि उपयोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निगरानी व्यवस्था है या नहीं इस संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। इसके साथ ही लगभग 13 प्रतिशत (कुल 7) उत्तरदाताओं ने उपयोजनाओं के संचालन हेतु काई निगरानी व्यवस्था नहीं होने की जानकारी दी।

सारणी – 10
उपयोजना संचालन में कोई समस्या महसूस होने की जानकारी

जिले	हां	नहीं	पता नहीं	कुल
टोंक	6	4	1	**11**
भरतपुर	3	0	2	**5**
अजमेर	7	2	8	**17**
बारां	0	2	0	**2**
बांसवाडा	4	3	0	**7**
उदयपुर	6	3	1	**10**
कुल	**26**	**14**	**12**	**52**

स्रोत : बार्क सर्वे के आधार पर

सारणी संख्या 10 का अध्ययन करने से पता चलता है कि जब उपरोक्त 6 जिलों के 5 चयनित विभागों में पदस्त अधिकारियों/कर्मचारियों से दोनों उपयोजनाओं के संचालन में कोई समस्या महसूस होने की चर्चा की गई तब कुल 52 उत्तरदाताओं में से लगभग 50 प्रतिशत (कुल 26) उत्तरदाताओं ने उपयोजनाओं के क्रियान्वयन में समस्या महसूस होने की बात कही।

टोंक जिले में बी.आर.जी.एफ. योजना के खर्च का विश्लेषण

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) देश में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। इसके अंतर्गत वर्तमान में राज्य के 13 जिले सम्मिलित हैं। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों को, शहरी क्षेत्रों में नगरपालिकाओं को कार्यक्रम तथा आयोजना तैयार करने एवं उसे कार्यान्वित करने की भूमिका दी गई है।

बी.आर.जी.एफ. योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा तैयार मार्गदर्शिका में अनुसूचित जाति एवं जनजाति को जनसंख्या के अनुपात में लाभ देने तथा बी.आर.जी. एफ. अंतर्गत उपयोजना हेतु अलग से आयोजना बनाने की बात कही गई है।

निम्न विश्लेषण टोंक जिले के वर्ष 2012–13 के बी.आर.जी.एफ. खर्च का अध्ययन करके तैयार किया गया है।

बी.आर.जी.एफ. हेतु व्यय राशि (2012–13)

राशि लाख में

पं. समिति	पंचायत समिति व्यय				ग्राम पंचायत व्यय			
	अनु.जाति	जनजाति	अन्य	कुल	अनु.जाति	जनजाति	अन्य	कुल
देवली	1.25 **(7.25)**	4.00 **(23.19)**	12.00 **(69.57)**	17.25 **(100.00)**	19.23 **(19.68)**	18.78 **(19.22)**	59.71 **(61.10)**	97.72 **(100.00)**
मालपुरा	4.00 **(19.51)**	0.00 **(0.00)**	16.50 **(80.49)**	20.50 **(100.00)**	21.81 **(19.95)**	7.85 **(6.10)**	99.02 **(76.95)**	128.68 **(100.00)**
निवाई	4.00 **(21.05)**	2.00 **(10.53)**	13.00 **(68.42)**	19.00 **(100.00)**	12.63 **(15.62)**	6.31 **(7.80)**	61.94 **(76.58)**	80.88 **(100.00)**
टोड़ा	2.60 **(22.81)**	0.00 **(0.00)**	8.80 **(77.19)**	11.40 **(100.00)**	8.99 **(11.28)**	11.40 **(14.30)**	59.34 **(74.43)**	79.73 **(100.00)**
टोंक	5.09 **(22.16)**	2.05 **(8.92)**	15.83 **(68.92)**	22.97 **(100.00)**	26.49 **(20.08)**	12.00 **(9.10)**	93.44 **(70.83)**	131.93 **(100.00)**
उनियारा	2.37 **(16.49)**	3.00 **(11.05)**	9.00 **(62.63)**	14.37 **(100.00)**	9.70 **(12.26)**	20.68 **(26.13)**	48.77 **(61.62)**	79.15 **(100.00)**
कुल	19.31 **(18.31)**	11.05 **(10.47)**	75.13 **(71.22)**	105.49 **(100.00)**	**98.85** **(16.53)**	**77.02** **(12.88)**	**422.22** **(70.59)**	598.09 **(100.00)**

स्रोतः जिला परिषद टोंक से प्राप्त जानकारी के आधार पर

- बी.आर.जी.एफ. योजना में 10 प्रतिशत राशि जिला परिषद, 15 प्रतिशत पंचायत समिति तथा 75 प्रतिशत ग्राम पंचायत हेतु आवटित की जाती है।
- सभी 6 पंचायत समितियों द्वारा 15 प्रतिशत में कुल 105.49 लाख तथा सभी 230 ग्राम पंचायतों द्वारा 75 प्रतिशत में कुल 598.09 लाख रू. का व्यय किया गया।
- पंचायत समिति द्वारा कुल व्यय में से 18.31 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 10.47 प्रतिशत जनजाति तथा 71.22 प्रतिशत अन्य वर्गों के मद में खर्च किया गया।
- ग्राम पंचायत द्वारा कुल व्यय में से 16.53 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 12.88 प्रतिशत जनजाति तथा 70.59 प्रतिशत अन्य वर्गों के लिये खर्च किया गया।

टोंक जिले में अनुसूचित जाति उपयोजना का बजट विश्लेषण : इस अध्ययन के लिये प्रत्येक जिले के तीनों स्तरों क्रमशः जिला, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत से 5 विभागों के विभागीय एवं उपयोजना बजट की जानकारी लेना प्रस्तावित था। लेकिन केवल टोंक जिले के विभागों द्वारा ही अपने विभागीय एवं उपयोजना बजट की जानकारी उपलब्ध करवाई गई।

निम्न रिपोर्ट टोंक जिले के 5 चयनित विभागों के जिलास्तरीय कार्यालयों, मालपुरा एवं टोडारायसिंह पंचायत समिति स्तरीय कार्यालयों तथा सांवरिया एवं रायपुरा ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यालयों से सूचनाएं लेकर तथा उनका विश्लेषण करके तैयार की गई है।

सारणी –1
वर्ष 2010–11 के विभागीय बजट की जानकारी

राशि लाख में

	विभाग	आयोजना		आयोजना भिन्न		के.प्रा.योजना		कुल	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
जिला स्तर	स्वास्थ्य	4.45 **(1.45)**	4.45	309.07 **(97.94)**	299.07	2.03 **(0.64)**	1.82	315.55 **(100)**	305.34 **(96.76)**
	उर्जा	7.90	7.90	-	-	-	-	-	-
पंचायत समिति	उर्जा	105.50	105.50	-	-	-	-	-	-
	ग्रा. विकास	1.03 **(1.40)**	1.55	109.07 **(89.63)**	97.53	11.59 **(9.52)**	11.59	121.69 **(100)**	110.67 **(90.64)**
ग्राम पंचायत	ग्रा. विकास	0.70	0.70	-	-	-	-	-	-

स्रोत : बार्क सर्वे से प्राप्त जानकारी
( ) में आवंटन का प्रतिशत दर्शाया गया है।

उपरोक्त सारणी के अध्ययन से स्पष्ट है कि जब टोंक जिले के 5 सरकारी विभागों से तीनों स्तरों (जिला, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत) पर वर्ष 2010–11 के विभागीय बजट की जानकारी ली गई तब तीनों स्तरों पर कुल 5 विभागों द्वारा ही विभागीय बजट की सूचना उपलब्ध करवाई गई। विभागीय बजट की सूचना देने वाले चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (जिला स्तर) एवं ग्रामीण विकास विभाग (पंचायत समिति) द्वारा अपने विभाग के पूर्ण बजट की जानकारी दी गई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने कुल आवंटन में से लगभग 94 प्रतिशत तथा ग्रामीण विकास विभाग ने लगभग 90 प्रतिशत राशि व्यय होने की बात कही।

सारणी –2
वर्ष 2010–11 के विभागीय बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना की जानकारी

राशि लाख में

	विभाग	आयोजना		आयोजना भिन्न		के.प्रा.योजना		कुल	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
जिला स्तर	शिक्षा	38.79 (57.53)	38.78	21.20 (31.44)	21.19	7.43 (11.02)	7.06	67.42 (100)	67.04 (99.32)
पंचायत समिति	उर्जा	40.00 (66.60)	40.00	20.00 (33.40)	20.00	-	-	60.00	60.00

स्रोत : बार्क सर्वे से प्राप्त जानकारी
( ) में आवंटन का प्रतिशत दर्शाया गया है।

उपरोक्त सारणी के अध्ययन से स्पष्ट है कि वर्ष 2010–11 के विभागीय बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु खर्च की जानकारी केवल शिक्षा (जिला स्तर) तथा उर्जा (पंचायत समिति) द्वारा ही दी गई। शिक्षा तथा उर्जा विभाग द्वारा उपयोजना हेतु आवंटित बजट में से लगभग पूरी राशि के व्यय होने की बात कही गई। साथ ही सारणी संख्या 1 व 2 के अनुसार उर्जा विभाग (पंचायत समिति) द्वारा कुल विभागीय खर्च का लगभग 56.87 प्रतिशत खर्च अनुसूचित जाति उपयोजना मद में किया गया।

सारणी –3
वर्ष 2011–12 के विभागीय बजट की जानकारी

राशि लाख में

	विभाग	आयोजना		आयोजना भिन्न		के.प्रा.योजना		कुल	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
जिला स्तर	स्वास्थ्य	66.50 (22.29)	65.49	3.08 (1.03)	3.08	228.70 (76.24)	218.70	298.29 (100)	287.28 (96.31)
पंचायत समिति	शिक्षा	4.50	3.60	-	-	-	-	-	-
	स. कल्याण	2.80	2.80	-	-	1.10	1.10	-	-
ग्राम पंचायत	शिक्षा	5.00	4.12	-	-	3.00	3.00	8.00	7.12
	ग्रा. विकास	21.90	20.00	-	-	35.00	32.00	-	-
	स. कल्याण	2.26 (0.98)	1.99	109.79 (47.58)	110.38	118.70 (51.44)	90.47	230.76 (100)	202.84 (87.90)

स्रोत : बार्क सर्वे से प्राप्त जानकारी
( ) में आवंटन का प्रतिशत दर्शाया गया है।

उपरोक्त सारणी के अनुसार टोंक जिले के विभागों से वर्ष 2011–12 के विभागीय बजट की जानकारी जानकारी लेने पर तीनों स्तरों पर केवल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (जिला स्तर) एवं समाज कल्याण तथा शिक्षा (ग्राम पंचायत) द्वारा अपने विभागीय बजट की पूर्ण सूचना उपलब्ध करवाई गई। स्वास्थ्य विभाग ने आवंटित कुल राशि में से लगभग 96 प्रतिशत एवं समाज कल्याण ने लगभग 87 प्रतिशत राशि के व्यय होने की बात कही।

सारणी –4
वर्ष 2011–12 के विभागीय बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना की जानकारी

राशि लाख में

	विभाग	आयोजना		आयोजना भिन्न		के.प्रा.योजना		कुल	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
जिला स्तर	स्वास्थ्य	7.27	7.19	-	-	-	-	-	-
पंचायत समिति	शिक्षा	2.30	2.19	-	-	-	-	-	-
	उर्जा	86.00 (43.88)	86.00	12.00 (6.12)	12.00	98.00 (50.00)	98.00	196.00 (100)	196.00 (100)
ग्राम पंचायत	शिक्षा	2.00	1.50	-	-	3.00	2.50	5.00	4.00

स्रोत : बार्क सर्वे से प्राप्त जानकारी
( ) में आवंटन का प्रतिशत दर्शाया गया है।

उपरोक्त सारणी के अनुसार वर्ष 2011–12 के विभागीय बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु आवंटित बजट की जानकारी लेने पर तीनों स्तरों पर केवल 4 विभागों द्वारा ही बजट की जानकारी दी गई। सारणी संख्या 3 व 4 के अनुसार स्वास्थ्य विभाग (जिला स्तर) ने कुल खर्च का लगभग 2.51 प्रतिशत, शिक्षा (पंचायत समिति) ने कुल खर्च का लगभग 60.80 प्रतिशत तथा शिक्षा (ग्राम पंचायत) ने कुल खर्च का लगभग 21.10 प्रतिशत व्यय उपयोजना मद में होने की सूचना दी।

सारणी –5
वर्ष 2012–13 के विभागीय बजट की जानकारी

राशि लाख में

	विभाग	आयोजना		आयोजना भिन्न		के.प्रा.योजना		कुल	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
जिला स्तर	उर्जा	94.00	93.10						
पंचायत समिति	उर्जा	1.78 (27.13)	1.78	3.00 (45.73)	3.00	1.78 (27.13)	1.78	6.56 (100)	6.56 (100)
	ग्रा. विकास	80.00 (89.39)	80.00	6.50 (7.26)	3.00	3.00 (3.55)	1.50	89.50 (100)	84.50 (94.41)
	शिक्षा	5.05	4.05	-	-	-	-	-	-
	स. कल्याण	3.30 (78.57)	3.30	-	-	0.90 (21.43)	0.90	4.20 (100)	4.20 (100)
	ग्रा. विकास	70.00 (89.97)	57.00	5.00 (6.43)	2.80	2.80 (3.60)	1.30	77.80 (100)	61.10 (78.53)
	स. कल्याण	4.00 (1.90)	3.99	105.82 (50.15)	118.62	101.17 (47.95)	81.48	210.99 (100)	204.10 (96.73)
ग्राम पंचायत	ग्रा. विकास	41.00 (45.56)	38.00	34.00 (37.78)	33.50	15.00 (16.67)	13.00	90.00 (100)	84.50 (93.89)

स्रोत : बार्क सर्वे से प्राप्त जानकारी
( ) में आवंटन का प्रतिशत दर्शाया गया है।

अध्ययन के दौरान वर्ष 2012–13 के विभागीय बजट की जानकारी लेने पर तीनों स्तरों पर उर्जा, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण (पंचायत समिति) एवं ग्रामीण विकास (ग्राम पंचायत) द्वारा अपने विभाग के बजट की पूर्ण सूचना उपलब्ध करवाई गई। ग्रामीण विकास तथा समाज कल्याण (पंचायत समिति) ने क्रमशः कुल आवंटन का लगभग 78 एवं 96 प्रतिशत तथा ग्रामीण विकास (ग्राम पंचायत) ने लगभग 93 प्रतिशत व्यय होने की बात कही।

सारणी –6
वर्ष 2012–13 के विभागीय बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना की जानकारी

राशि लाख में

	विभाग	आयोजना		आयोजना भिन्न		के.प्रा.योजना		कुल	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
पंचायत समिति	उर्जा	2.35	2.27	-	-	-	-	-	-
	ग्रा. विकास	9.00 (57.32)	6.40	-	-	6.70 (42.68)	4.90	15.70 (100)	11.10 (70.70)
	शिक्षा	2.40	**2.00**	-	-	-	-	-	-
	स. कल्याण	1.50	1.10	-	-	-	-	-	-
	ग्रा. विकास	8.00 (58.39)	5.30	-	-	5.70 (41.61)	3.90	13.70 (100)	9.20 (67.15)
	स. कल्याण	70.00 (33.18)	69.99	30.00 (14.21)	29.99	11.10 (5.26)	8.265	211.00 (100)	182.64 (86.56)
ग्राम पंचायत	ग्रा. विकास	4.00 (40.00)	3.50	-	-	6.00 (60.00)	5.90	10.00 (100)	9.40 (94.00)

स्रोत : बार्क सर्वे से प्राप्त जानकारी
( ) में आवंटन का प्रतिशत दर्शाया गया है।

अध्ययन के दौरान वर्ष 2012–13 के विभागीय बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु आवंटन की जानकारी लेने पर ग्रामीण विकास (पंचायत समिति) ने कुल आवंटन की लगभग 70 प्रतिशत, समाज कल्याण (पंचायत समिति) ने लगभग 86 प्रतिशत तथा ग्रामीण विकास (पंचायत समिति) ने लगभग 67 प्रतिशत राशि व्यय होने की बात कही गई।

सारणी संख्या 5 व 6 के अनुसार पंचायत समिति स्तरीय उर्जा विभाग ने 34.60 प्रतिशत, ग्रामीण विकास ने 13.14 प्रतिशत, शिक्षा ने 49 प्रतिशत, समाज कल्याण ने 26 प्रतिशत, ग्रामीण विकास ने 15 प्रतिशत एवं समाज कल्याण ने लगभग 89 प्रतिशत तथा ग्रामीण विकास (ग्राम पंचायत) ने लगभग 11 प्रतिशत राशि उपयोजना मद व्यय होने की बात कही।

टोंक जिले के विभागीय एवं उपयोजना बजट विश्लेषण से प्राप्त परिणाम : 'अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना का जिला एवं निम्न स्तर पर अध्ययन' के दौरान टोंक जिले के तीनों स्तरों पर विभागीय एवं उपयोजना बजट की जानकारी का विशलेश्ण करने पर निम्न मुख्य परिणाम प्राप्त हुये।

- अध्ययन के दौरान देखने में आया कि सरकारी विभागों से विभागीय बजट एवं उपयोजना खर्च की जानकारी लेना (सूचना के अधिकार के बिना) बहुत ही मुश्किल है।
- जानकारी देने वाले विभागों में से भी लगभग 50 प्रतिशत विभागों द्वारा ही बजट की पूर्ण एवं सभी मदों में आवंटित राशि की जानकारी उपलब्ध करवाई गई।
- उर्जा विभाग (पंचायत समिति) द्वारा वर्ष 2011–12 में विभाग के कुल खर्च का लगभग 56.87 प्रतिशत व्यय अनुसूचित जाति उपयोजना मद में होने की जानकारी दी गई।

- स्वास्थ्य विभाग (जिला स्तर) द्वारा वर्ष 2011–12 में कुल विभागीय खर्च का लगभग 2.51 प्रतिशत उपयोजना अंतर्गत व्यय होने की जानकारी दी गई।

- शिक्षा विभाग (पंचायत समिति) ने कुल विभागीय खर्च में से 60.80 प्रतिशत तथा शिक्षा विभाग (ग्राम पंचायत) ने 21.10 प्रतिशत राशि वर्ष 2011–12 में उपयोजना अंतर्गत व्यय करने की जानकारी दी।

- पंचायत समिति स्तर पर वर्ष 2012–13 की जानकारी में उर्जा विभाग द्वारा 34.60 प्रतिशत, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 13.14 प्रतिशत, शिक्षा विभाग द्वारा 49 प्रतिशत तथा समाज कल्याण द्वारा लगभग 26 प्रतिशत विभागीय बजट की राशि उपयोजना मद में व्यय होने की सूचना दी गई।

- ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण विकास द्वारा वर्ष 2012–13 में विभागीय बजट की लगभग 11 प्रतिशत राशि उपयोजना मद में खर्च होने की सूचना दी गई।

राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना का जिला एवं निम्न स्तर पर अध्ययन विषय के दौरान राज्य के 6 जिलों में 5 विभागों से आंकड़े संग्रहण करके रिपोर्ट तैयार की जानी थी। लेकिन सरकारी अधिकारियों द्वारा सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाने की वजह से रिपोर्ट संक्षिप्त रह गई है। हमें उम्मीद है कि बार्क भविष्य में इस प्रकार के अन्य अध्ययन और अधिक प्रभावी ढंग से करने का प्रयास करेगा।

अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष

राज्य में 'अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के क्रियान्वयन का जिला एवं निम्न स्तर पर अध्ययन' के दौरान चयनित 6 जिलों के 5 सरकारी विभागों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों से सूचनाएं प्राप्त की गईं इन सूचनाओ के विश्लेषण से प्राप्त परिणामों के आधार पर निम्न विवरण तैयार किया गया है।

- **जागरूकता का अभाव** : अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के क्रियान्वयन का जिला एवं निम्न स्तर पर अध्ययन के दौरान विभागीय कर्मचारियों तथा अधिकारियों में मुख्य रूप से उपयोजनाओं के बारे में जानकारी का अभाव पाया गया।

  - अध्ययन में शामिल कुल विभागीय कर्मचारी/अधिकारियों में से केवल 45 प्रतिशत ने उपयोजनाओं के संबंध में उन्हें जानकारी होने की बात स्वीकार की।
  - उपयोजनाओं के संबंध में जानकारी रखने वाले कुल 45 प्रतिशत उत्तरदाताओं में सर्वाधिक पंचायत समिति स्तर के कर्मचारी एवं अधिकारी सम्मिलित थे।
  - अध्ययन में शामिल जिलों में से टोंक, उदयपुर एवं अजमेर जिलों के कर्मचारी तथा अधिकारियों में उपयोजनाओं के बारे में सर्वाधिक जानकारी पाई गई।
  - अध्ययन में शामिल जिलों में से भरतपुर, बांसवाडा एवं बांरा जिलों के विभागीय अधिकारियों में उपयोजना के बारे में सबसे कम जानकारी पाई गई।

- **आयोजना एवं क्रियान्वयन स्तर की समस्या** : अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के क्रियान्वयन का जिला एवं निम्न स्तर पर अध्ययन के दौरान विभागीय कर्मचारियों से उपयोजना के आयोजना एवं क्रियान्वयन की सूचनाएं लेने पर निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए।

  - अध्ययन में शामिल कुल विभागीय कर्मचारियों में से केवल 50 प्रतिशत ने उनके विभाग की वार्षिक आयोजना में उपयोजनाओं के सम्मिलित होने की बात कही।
  - अध्ययन में शामिल कुल विभागीय कर्मचारियों में से केवल 31 प्रतिशत ने उनके विभाग में उपयोजना अंतर्गत विशेष योजनाएं संचालित होने की बात कही।
  - अध्ययन में शामिल कुल विभागीय कर्मचारियों में से केवल 46 प्रतिशत को उपयोजनाओं की राशि अन्य मद में खर्च नहीं करने के नियम की जानकारी थी।
  - अध्ययन में शामिल कुल विभागीय कर्मचारियों में से लगभग 50 प्रतिशत ने माना कि उनको उपयोजनाओं के क्रियान्वयन में समस्या महसूस होती है।

- **मार्गदर्शिका एवं निगरानी का अभाव** : अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के क्रियान्वयन का जिला एवं निम्न स्तर पर अध्ययन के दौरान विभागों से उपयोजना हेतु मार्गदर्शिका तथा निगरानी व्यवस्था की जानकारी लेने पर निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए।

  - अध्ययन में शामिल कुल विभागीय कर्मचारियो में से केवल 35 प्रतिशत ने उपयोजनाओं के संचालन हेतु मागदर्शिका होने की जानकारी दी।

- उपयोजना के संचालन हेतु मागदर्शिका होने की जानकारी देने वाले कुल उत्तरदाताओं में से 64 प्रतिशत को मागदर्शिका के प्रारूप की जानकारी नही थी।
- उपयोजना के संचालन हेतु मागदर्शिका होने की जानकारी देने वाले कुल विभागीय कर्मचारियों में से केवल 48 प्रतिशत ने उपयोजनाओं का क्रियान्वयन मार्गदर्शिका के अनुसार होने की बात कही।
- अध्ययन में शामिल कुल विभागीय कर्मचारियों में से लगभग 46 प्रतिशत ने माना कि उपयोजनाओं के संचालन हेतु काई उचित निगरानी की व्यवस्था नहीं है।

- **विभागीय अधिकारियों से चर्चा से प्राप्त परिणाम :** अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के क्रियान्वयन का जिला एवं निम्न स्तर पर अध्ययन के दौरान विभागीय कर्मचारियों तथा अधिकारियों से उपयोजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा करने पर कई अन्य महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए।
  - अध्ययन के दौरान देखा गया कि उपयोजना हेतु राशि आवंटन की जानकारी में राज्य के आयोजना विभाग, उपयोजना के नोडल विभाग तथा वित्त विभाग के आंकड़ों में भारी विषमताएं हैं।
  - अध्ययन के दौरान पाया गया कि सरकारी विभागों से उपयोजनाओं के आवंटन एवं व्यय की सूचनाएं प्राप्त करना (सूचना के अधिकार के बिना) बहुत ही मुश्किल है।
- **टोंक जिले के बजट विश्लेषण से प्राप्त परिणाम :** अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के क्रियान्वयन के अध्ययन के दौरान टोंक जिले के विभागों से प्राप्त आयोजना एवं उपयोजना बजट प्रपत्रों का अध्ययन करने पर निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए।
  - उर्जा विभाग (पंचायत समिति) द्वारा वर्ष 2011–12 में विभाग के कुल खर्च का लगभग 56.87 प्रतिशत व्यय अनुसूचित जाति उपयोजना मद में होने की सूचना दी गई।
  - स्वास्थ्य विभाग (जिला स्तर) द्वारा वर्ष 2011–12 में कुल विभागीय खर्च का लगभग 2.51 प्रतिशत उपयोजना अंतर्गत व्यय होने की जानकारी दी गई।
  - शिक्षा विभाग (पंचायत समिति) ने कुल विभागीय खर्च में से 60.80 प्रतिशत तथा शिक्षा विभाग (ग्राम पंचायत) ने 21.10 प्रतिशत राशि वर्ष 2011–12 में उपयोजना अंतर्गत व्यय करने की जानकारी दी।
  - पंचायत समिति स्तर पर वर्ष 2012–13 में उर्जा विभाग द्वारा 34.60 प्रतिशत, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 13.14 प्रतिशत, शिक्षा विभाग द्वारा 49 प्रतिशत, समाज कल्याण विभाग द्वारा लगभग 26 प्रतिशत विभागीय बजट की राशि उपयोजना मद में व्यय होने की जानकारी दी गई।
  - ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण विकास द्वारा वर्ष 2012–13 में विभागीय बजट की लगभग 11 प्रतिशत राशि उपयोजना मद में खर्च होने की सूचना दी गई।

राज्य में उपयोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सुझाव

राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के क्रियान्वयन का जिला एवं निम्न स्तर पर अध्ययन के दौरान विभागीय कर्मचारियों से चर्चा तथा बार्क द्वारा उपयोजना के क्रियान्वयन एवं आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर, राज्य में उपयोजनाओं के प्रभावी संचालन हेतु कुछ सुझाव प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

- राज्य सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक ठोस कानून का प्रारूप तैयार करे तथा इसे शीघ्र से शीघ्र प्रदेश में लागू करे।
- राज्य सरकार उपयोजनाओं के आवंटन की सूचना के आयोजना विभाग, उपयोजना के नोड़ल विभाग तथा वित्त विभाग के आंकड़ों में विषमताओं को दूर करे तथा किसी एक विभाग के आंकड़ो को पारदर्शिता के साथ मान्यता प्रदान करे।
- राज्य सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के राज्य, जिला एवं निम्न स्तर पर संचालन हेतु स्पष्ट मार्गदर्शिका तैयार करे।
- सभी विभागों को अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना हेतु अलग से आयोजना तैयार करने तथा जनसंख्या के अनुपात में बजट आवंटित करने हेतु पाबंद किया जाये।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं के संचालन हेतु बनाये गये नोडल विभागों द्वारा उपयोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं निगरानी हेतु रणनीति तैयार की जाये।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना मद की राशि अन्य मदों में खर्च किये जाने पर ठोस एवं प्रभावी कार्यवाही के नियम तैयार किये जायें।

सन्दर्भ सूची :

- बार्क द्वारा किये गये सर्वे के प्रपत्र/अनुसूचियां
- जिला परिषद टोंक से प्राप्त योजना प्रपत्र
- आयोजना विभाग का पंचवर्षीय विवरण
- आयोजना आयोग की मार्गदर्शिका
- आर्थिक समीक्षा – 2012–13/14
- आयोजना विभाग परिपत्र, राजस्थान सरकार
- भारत का संविधान – सुभाष कश्यप
- वार्षिक प्रतिवेदन 2013, सामा. न्याय अधि. विभाग, राजस्थान सरकार
- वार्षिक प्रतिवेदन 2013, जनजाति विकास विभाग, राजस्थान सरकार
- राज्य बजट पुस्तिका, राजस्थान सरकार
- विभाग की वेबसाईट www.tad.rajasthan.gov.in
- विभाग की वेबसाईट www.http://socialjustice.ni c
- विभाग की वेबसाईट www.sje.rajasthan.gov.in

भूपेन्द्र कौशिक

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र
पी–1, तिलक मार्ग, सी–स्कीम,
जयपुर–302005
फोन / फैक्स – 0141–2385254
E-mail: info@barcjaipur.org
Web: www.barcjaipur.org